बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २६ मार्च, १९७६ ई०

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(२) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :	१७ एवं १८	२—६
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :	६०८, ६१०, ६१२, ६१५–६२२, ६२४, ६२९—६३१, ६३३, ६३५, ६३७, ६३९, ६४२, ६४३, ६४८, ६५०, ६५२, ६५३, ६५६, ६५८, ६६०, ६६३, ६६५, ६७०, ६७५; ६७६, ६८०, ६८५।	६–४६
परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर)		४७–१६३
दैनिक निबन्ध		१६५–१६६

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

अनियमितता का औचित्य

६१८। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की वरीयता अनुक्रम सूची प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग होती हैं और उसी के अनुसार शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाती है ;

(२) क्या यह बात सही है कि बैशाली जिले के १५ शिक्षकों को १९७२ की अनुक्रम सूची से १९७५ में प्रोन्नति देना अनियमित है ;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस अनियमितता के लिये कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) जिला शिक्षा अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर १९७४ की सूची से १९७५ में नियुक्ति की गयी। इस विषय पर एक वरीय पदाधिकारी द्वारा तुरत जाँच करायी जा रही है।

(३) जाँचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

———

श्रीमती चन्द्रप्रभा सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई

६१९। श्री बुन्देल पासवान क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्रीमती चन्द्रप्रभा सिन्हा जिला विद्यालय निरीक्षिका, पूर्णियाँ सरकारी सेवा में आने के पूर्व १-१ ६४ से २२-९-६४ तक राज्य सम्पोषित बालिका उच्च विद्यालय, अररिया में प्राचार्या थीं ;

(२) क्या यह बात सही है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या २१८/७५–७६ के अनुसार श्रीमती सिन्हा ने अपने उक्त कार्यालय में विद्यालय-कोष से १०,०००/- रुपये का गबन किया है ;